8वीं में फेल भी 10वीं, 12वीं की परीक्षा दे सकेंगे

फेल होने या फिर किसी और कारण से पढ़ाई छोड़ने वालों को फिर पढ़ाई का मौका देगी सरकार

- सरकार लाएगी शिक्षा घर योजना
- स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा में प्रजेंटेशन

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 21 मई. ऐसे बच्चे जो कि 8वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाए और फिर निराशा में या फिर किसी मजबूरी में यदि पढ़ाई छोड़ दिया है, तो कोई बात नहीं, आपमें बस फिर से पढ़ाई का जज्बा होना चाहिए. अब आपको बिना 8वीं पास किए ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने का मौका फिर मिलेगा.

राज्य सरकार ऐसे किशोर, किशोरी या युवक, युवती के लिए शिक्षा घर योजना लेकर आ रही है, जिसमें उन्हें ये मौका देने की तैयारी की गई है. गुरुवार को मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान इस संबंध में विभाग के सचिव संजय गोयल ने प्रजेंटेशन दिया. सीएम डॉ. मोहन यादव ने तत्काल इस योजना को सैद्धांतिक सहमति दे दी है. योजना का क्षेत्र सम्पूर्ण मप्र होगा, जिसमें प्रदेश की सभी ग्राम, पंचायतें और नगरीय निकाय भी शामिल होंगे. योजना का क्रियान्वयन मप्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा.

गुरुवार से मंत्रालय में विभागवार बैठकों का दौर शुरू हुआ, जिसमें मंत्रियों ने विभागों के कामकाज का ब्यौरा पेश किया. शुरुआत स्कूल शिक्षा विभाग से हुई. बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाये. गुरू सांदीपनि के जीवन पर भी रोचक पुस्तक तैयार की जाए. स्कूली शिक्षा में कक्षा 8 से 12 में कृत्रिम बुद्धिमता यानी एआई के कौशल को कैसे जोड़ा जाए, इस पर भी एक कार्य योजना तैयार की जाए. निजी विद्यालय खोलने के लिए सामाजिक संस्थाओं और संगठनों को प्रोत्साहन दिया जाए. अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया एक जुलाई से पहले पूरी कर ली जाए. सत्र प्रारंभ होने से पहले स्कूलों में सभी पूर्व तैयारियां कर ली जाएं. प्रदेश की सभी आंशिक जीर्ण-शीर्ण शालाओं की तत्काल मरम्मत करा ली जाए. सभी स्कूलों में बाउण्ड्री वॉल्स बनाई जाए. एक जुलाई से गुरू पूर्णिमा 29 जुलाई तक शिक्षक वंदना कार्यक्रम, अभिभावकों एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में आयोजित किया जाए.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विभागीय गतिविधियों में तेजी लाएं और 16 जून से प्रारंभ हो रहे शैक्षणिक सत्र से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं. स्कूलों में पूर्व छात्र-छात्रा सम्मेलन कराए जाएं, ताकि ऐसे विद्यार्थी जो अपने विद्यालय से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, वे उस विद्यालय के विकास-विस्तार में कुछ योगदान भी कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जिन शालाओं में शत-प्रतिशत रिजल्ट आया है, उनके शिक्षकों का सार्वजनिक सम्मान किया जाएगा.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को ऐसे जिलों को चिन्हित करने को कहा, जहां सभी शालाओं में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध हों, साथ ही भौतिक एवं मानव संसाधन की कमी वाले जिलों की भी अलग श्रेणी तैयार की जाए. इससे सरकार को इन्हीं जिलों पर फोकस करने में आसानी होगी. कमी वाले जिलों पर इसी साल से काम प्रारंभ किया जाएगा.

पैक्स में 10 लाख नए सदस्य जोड़ें : सीएम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्राथमिक कृषि साख समितियों यानी पैक्स में नवीन सदस्य बनने के लिए सदस्यता अभियान 30 जून तक चलाएं. गत 14 अप्रैल से शुरू सदस्यता अभियान के जरिए पैक्स में 10 लाख नवीन सदस्य जोड़ें. उन्होंने कहा कि वर्ष में सवा लाख नए केसीसी स्वीकृति का लक्ष्य रखें. मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को मंत्रालय में सहकारिता विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के सुदृढ़ीकरण की सराहना करते हुए कहा कि अगले 3 साल में सभी कमजोर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का सुदृढ़ीकरण किया जाए. बताया गया कि गत ढाई वर्षों में 18 कमजोर जिला बैंकों में से 6 की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है. शासकीय अंश पूंजी सहायता से 6 जिला बैंक रीवा, सतना, जबलपुर, शिवपुरी, ग्वालियर एवं दतिया को सुदृढ़ करने का प्रयास है. अगले चरण में अन्य 6 भिंड, मुरैना, रायसेन, सागर, सीधी और नर्मदापुरम बैंक के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा. सीएम ने कहा कि पैक्स से लेन-देन की प्रक्रिया को मोबाइल ऐप के जरिए किए जाने के प्रयास किए जाएं. इस पर बताया गया कि प्रदेश की सभी 4536 पैक्स को केंद्र प्रायोजित कंप्यूटराइजेशन योजना के तहतकंप्यूटरीकृत कराया गया है. शत-प्रतिशत कंप्यूटराइजेशन से योजना क्रियान्वयन में प्रदेश देश में अग्रणी है.

200 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस ने लौटाया 2.55 लाख से भरा बैग

नव भारत न्यूज

इंदौर. पंढरीनाथ पुलिस ने एक व्यापारी का 2.55 लाख नकदी से भरा बैग सुरक्षित वापस दिलाया. इस पूरे मामले में एक ईमानदार नागरिक की सजगता और पुलिस की सक्रियता अहम रही.

दरअसल, काटजू कॉलोनी में रहने वाले बर्तन व्यापारी मुकेश कुमार वाधवानी सोमवार 11 मई को घर से दुकान जा रहे थे. उनके पास चार बैग थे, जिनमें से एक बैग रास्ते में कहीं गिर गया था. इस बैग में डीपी ज्वेलर्स लिखा था और उसमें 2.55 लाख नकद रखे थे. दुकान पहुंचने पर बैग गायब मिलने पर उन्होंने थाने में सूचना दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सतीश पटेल ने तत्काल टीम गठित कर जांच शुरू कराई. पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों के करीब 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. फुटेज की जांच में एक काले रंग की बाइक सवार युवक बैग उठाकर ले जाता दिखाई दिया, जिसमें वाहन नंबर का हिस्सा 5742 नजर आया.

बैग को मंदिर में सुरक्षित रख दिया था युवक ने-आंशिक नंबर के आधार पर पुलिस ने एमपी-09-5742 सीरीज के 34 वाहनों की जानकारी जुटाई, जिनमें 16 काले रंग की हौंडा शाइन बाइक चिन्हित की गईं. इसके बाद पुलिस टीम ने सभी संभावित पतों पर पहुंचकर पूछताछ की. पूछताछ के दौरान लावरिया भेरू क्षेत्र में रहने वाले राजू जायसवाल ने बताया कि उसे रास्ते में बैग मिला था. किसी विवाद से बचने के लिए उसने बैग को पास के मंदिर में सुरक्षित रख दिया था, ताकि असली मालिक मिलने पर लौटा सके. पुलिस के कहने पर उसने तुरंत बैग लाकर सौंप दिया. फरियादी ने बैग की पहचान की, जिसमें रखी पूरी 2.55 लाख राशि सुरक्षित पाई गई. पुलिस ने राजू जायसवाल की ईमानदारी की सराहना करते हुए उसका सम्मान किया और उसके हाथों ही बैग व्यापारी को वापस दिलाया.

60 लाख चोरी के चर्चित केस में पीड़िता पर बनाया दबाव

- आरोपियों ने कोर्ट में बयान बदलने के लिए दी धमकी
- आरोपियों में जेठ का बेटा भी है शामिल

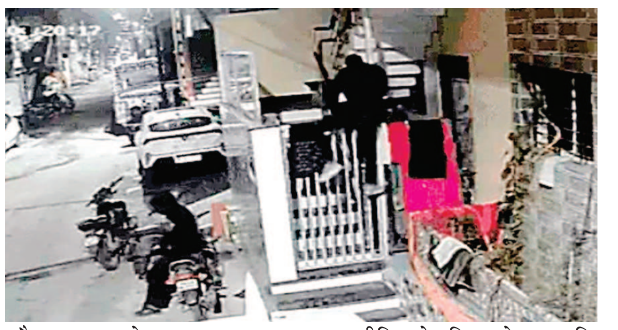

नव भारत न्यूज

इंदौर. बाणगंगा थाना क्षेत्र में 60 लाख रुपए की चोरी के चर्चित मामले में अब आरोपियों द्वारा पीड़िता को कोर्ट में बयान बदलने के लिए धमकाने का मामला सामने आया है. पीड़िता ने अपने ही रिश्तेदारों पर धमकी और समझौते का दबाव बनाने की शिकायत दर्ज कराई है.

पुलिस के अनुसार, कुम्हार खाड़ी निवासी मनीषा यादव के सूने घर में 7 फरवरी 2026 को चोरी की वारदात हुई थी. 9 फरवरी को परिवार लौटकर आया तो घर का ताला टूटा मिला और सोने के जेवर व नकदी सहित करीब 60 लाख रुपए का सामान गायब पाया. जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में तीन से अधिक युवक नजर आए थे, जिनमें महिला के जेठ का बेटा रोहित उर्फ गोलू और उसके साथी शामिल पाए गए थे. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जमानत पर छूटने के बाद मंगलवार 19 मई को दोपहर करीब 4 बजे आरोपी रोहित उर्फ गोलू अपने साथी प्रद्युम्य के साथ उसके घर पहुंचा. दोनों ने पहले दर्ज चोरी के केस में कोर्ट में बयान बदलने का दबाव बनाया. विरोध करने पर आरोपियों ने महिला और उसके पति के साथ अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी.

जीआरपी पुलिस लाइन में समर कैंप-2026 का आगाज

नव भारत न्यूज

इंदौर. जीआरपी पुलिस लाइन बिचौली हप्सी में बुधवार को समर कैंप-2026 का शुभारंभ हुआ. पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशन में आयोजित इस कैंप में पुलिस परिवार के 50 से अधिक बच्चों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया. कैंप में बच्चों को आत्मरक्षा, खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुई. कैंप में आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और ब्लैक बेल्ट प्रशिक्षक अनस अंसारी बच्चों को तकनीक सिखा रहे हैं. वहीं क्रिएटिव गतिविधियों के तहत सोप मेकिंग का प्रशिक्षण आयुषी कासलीवाल द्वारा दिया जा रहा है. इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट के अंतर्गत पीएनएम फाउंडेशन की प्रिया बच्चों को पेपर बैग, सजावटी आइटम और दीये बनाना सिखा रही हैं. कैंप में खेल एवं युवा कल्याण विभाग इंदौर का भी विशेष सहयोग मिल रहा है. आयोजकों के अनुसार इस समर कैंप का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ उनमें आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है.

अवैध रेत उत्खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

एमपी और राजस्थान सरकार के संबंधित अधिकारी तलब

मुरैना, 21 मई. राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकार को एक बार फिर कड़ी फटकार लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को तलब किया है.

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मध्यप्रदेश सरकार से पूछा कि अभयारण्य क्षेत्र में बिना नंबर प्लेट वाले वाहन किस प्रकार संचालित हो रहे हैं. कोर्ट ने ऐसे वाहनों की पहचान कर जब्ती की कार्रवाई करने तथा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से तलब करते हुए यह जानकारी मांगी है कि नियमों का उल्लंघन करने और अवैध खनन को बढ़ावा देने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है.

> न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के पालन और दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विस्तृत शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल प्राथमिकी दर्ज करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अवैध खनन के वास्तविक मास्टरमाइंड और खनन के मुख्य स्रोत तक पहुंचकर उनके खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.

समर्थ सिंह अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण में

जबलपुर, 21 मई. भोपाल की पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी बनाए गए पति समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पेश किया है. समर्थ पर मृतका पत्नी ट्विशा को प्रताड़ित करने के आरोप हैं.

मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. जमानत आवेदन में पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की गई है. इससे पहले भोपाल की कोर्ट ने 18 मई को आरोपी पति समर्थ सिंह को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.समर्थ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मृगेन्द्र सिंह हाईकोर्ट में पैरवी करेंगे. उन्होंने एक चैनल को दिए इंटरव्यू बताया कि आरोप अनर्गल हैं और केस झूठा है. वॉट्सएप चैट में प्रताड़ना और दहेज की कहीं

ट्विशा शर्मा की मौत का मामला

भी कोई भी बात नहीं है. चैट को एडिट किया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना को नाटकीय मोड़ दिया गया है. उन्होंने दावा किया कि साढ़े चार माह की शादी में ट्विशा 5 बार मायके गई. मायके से वापस आने पर ही उसके व्यवहार में बदलाव आता था.

फेक आईडी बनाकर युवती को बदनाम करने की कोशिश

- पति को भेजे आपत्तिजनक मैसेज
- युवती पर दोस्ती बनाए रखने का दबाव भी बनाया

नव भारत न्यूज

इंदौर. भंवरकुआं थाना क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही एक युवती को फेक आईडी बनाकर अश्लील और भ्रामक मैसेज भेजने का मामला सामने आया है. आरोपी ने युवती के पति को भी आपत्तिजनक संदेश भेजकर उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब करने की कोशिश की. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

पीड़िता की शिकायत पर बागली निवासी अमन के खिलाफ आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. पीड़िता मूल रूप से बड़वानी जिले के पानसेमल की रहने वाली है और इंदौर में हॉस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है, जबकि उसका पति एक निजी कंपनी में कार्यरत है. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी करीब चार माह पहले हुई थी. शनिवार 2 मई को आरोपी ने उसके पति के नाम से फर्जी आईडी बनाकर आपत्तिजनक मैसेज भेजे. इन मैसेज में युवती के शादी से पहले और बाद में किसी अन्य युवक से संबंध होने जैसी भ्रामक बातें लिखी गई थीं. महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसे भी सीधे मैसेज कर ब्लैकमेल किया और दोस्ती बनाए रखने का दबाव बनाया. बुधवार 6 मई को जब उसने आरोपी से बात कर उसे समझाने की कोशिश की, तो उसने जान से मारने और परिवार की बदनामी करने की धमकी दी. यहां तक कि शादी तुड़वाने की भी बात कही. घटना की जानकारी युवती ने अपने परिजनों को दी, जिसके बाद बुधवार को भंवरकुआं थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

नशे में घर लाए लोगों का बहू ने किया विरोध, ससुर ने की पिटाई

इंदौर. बाणगंगा थाना क्षेत्र में ससुर द्वारा बहू से मारपीट का मामला सामने आया है. महिला ने घर में नशे में धुत अनजान लोगों को लाने का विरोध किया तो आरोपी ससुर ने गाली गलौज कर लात थप्पड़ों से हमला कर दिया.

घटना भगत सिंह नगर की है, पीड़िता सपना प्रजापत ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसके ससुर शिवचरण प्रजापत अक्सर नशा करते हैं और नशे की हालत में बाहरी व अनजान लोगों को घर लेकर आ जाते हैं. बताया गया कि घटना वाले दिन भी आरोपी नशे में धुत कुछ लोगों को घर ले आया. इस पर सपना ने घर की सुरक्षा और माहौल का हवाला देते हुए विरोध किया और अनजान लोगों को अंदर आने से मना कर दिया. इस बात पर ससुर भड़क गया और गाली गलौज करने लगा. विरोध करने पर उसने बहू के साथ लात-थप्पड़ों से मारपीट कर दी, जिससे महिला को चोटें आईं.

ट्रेन में छूटा जेवरों से भरा बैग, जीआरपी ने सुरक्षित लौटाया

नव भारत न्यूज

इंदौर. नई दिल्ली-इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक यात्री का छूटा लाखों के जेवरों और नकदी से भरा ट्रॉली बैग जीआरपी इंदौर ने सुरक्षित बरामद कर यात्री को लौटा दिया. बैग में करीब 6.50 लाख रुपए का सामान था.

घटना गुरुवार 21 मई की है, जीआरपी थाना इंदौर के प्लेटफॉर्म ड्यूटी पर तैनात आरक्षक आकाश, राजकुमार और नीरज पंत को ट्रेन नंबर 12416 नई दिल्ली-इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस के कोच बी-1 की बर्थ नंबर 54 पर एक लावारिस ट्रॉली बैग होने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और बैग को सुरक्षित जीआरपी थाने लेकर आई.

हाईकोर्ट की मुख्यपीठ से भोपाल को काटने की साजिश का विरोध

जबलपुर, 21 मई. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर के क्षेत्राधिकार में आने वाले भोपाल को काटकर खंडपीठ इंदौर के क्षेत्राधिकार में शामिल किए जाने की साजिश का विरोध शुरू हो गया है. इस सिलसिले में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच व डेमोक्रेटिक लायर्स फोरम सहित अन्य की ओर से मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा गया है.

डा. पीजी नाजपांडे, रजत भार्गव, अधिवक्ता रवींद्र गुप्ता, वेदप्रकाश अधौलिया व ओपी यादव सहित अन्य ने इस सिलसिले में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा को एक पत्र भेजा गया है. जिसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट का पहले ही दो बेंच के रूप में विखंडन हो चुका है. पूर्व में मुख्यपीठ जबलपुर से हटाने की कोशिश भी हुई थी. जिसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर होने के बाद साजिश नाकाम हो गई थी. लेकिन एक बार फिर वैसी ही कवायद की जानकारी मिली है. कायदे से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में विभिन्न आयोग व अधिकरणों के मुख्यालय भी जबलपुर में होने चाहिए. लेकिन ऐसा न करते हुए कई आयोग व अधिकरणों के मुख्यालय

कब्जा नोटिस

जबकि, IIFL-HFL ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) (उक्त अधिनियम) के प्रावधानों के तहत तथा उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता, गारंटर, बंधककर्ता को राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है और इसके बाद, IIFL-HFL ने दिनांक 29-दिसंबर-2025 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से, IIFL-HFL बैंक द्वारा उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को दी गई सुविधाओं से उत्पन्न उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा देय ऋणों के संबंध में अपने सभी अधिकार, स्वामित्व, हित और लाभ, साथ ही अंतर्निहित अचल संपत्ति, फीनिक्स आर्क लिमिटेड (पूर्व में फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को सौंप दिए हैं, जो फीनिक्स ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहा है - ट्रस्ट एफवाय 26-14
(फीनिक्स) सुरक्षा रसीद धारकों के लाभ के लिए. अत:, उक्त आवंटन के मद्देनजर, फीनिक्स अब IIFL-HFL के स्थान पर प्रतिस्थापित हो गया है और फीनिक्स उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार के विरुद्ध सभी प्रकार की कार्यवाही शुरू करने/जारी रखने तथा वित्तीय दस्तावेजों के अंतर्गत अपने अधिकारों और लाभों को लागू करने का हकदार होगा, जिसमें उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा ली गई वित्तीय सुविधाओं के लिए निष्पादित और निर्मित गारंटी और सुरक्षा हित को लागू करना भी शामिल है.
ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा उक्त राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति में, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि फीनिक्स के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित अचल संपत्ति पर 'जैसा है, जहां है और जो कुछ भी है' के आधार पर नीचे उल्लिखित तिथि से कब्जा कर लिया है.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया.... रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री नारायण भेरुसिंह श्रीमती मंजू नागर (प्रॉस्पेक्ट नं. 847904)	उक्त संपत्ति का वह भाग, प्लॉट संख्या 244 का पश्चिमी भाग, देवास शहर, भक्ति एवेन्यू कॉलोनी, बिलावली गांव, देवास, तहसील एवं जिला देवास (मध्य प्रदेश). क्षेत्रफल: 455001 वर्ग फुट संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल: 484 वर्ग फुट	रुपये 560406/- (रु. पांच लाख साठ हजार चार सौ छह मात्र)	04-12-2025	19-05-2026
श्री सतीश चंद्र श्री योगेंद्र श्री योगेंद्र, श्रीमती आशा देवी (प्रॉस्पेक्ट नं. 903230)	प्लॉट संख्या 155, गोल्डन गैलेक्सी ग्राम, इमलीखेड़ा, तहसील सांवेर, जिला इंदौर, 452001, मध्य प्रदेश, भारत. क्षेत्रफल एडमि. (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, कालीन क्षेत्र, अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र. संपत्ति का क्षेत्रफल: 800.00, 500.00, 600.00	रुपये 892767.14 (रु. आठ लाख बानवे हजार सात सौ सड़सठ और पैसा चौदह मात्र)	04-12-2025	19-05-2026
श्री अनुराग सिंह श्रीमती नीराम सिंह (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10020899 और आईएल10141165)	उक्त संपत्ति का वह भाग और हिस्सा, उत्तरी भाग प्लॉट संख्या B-124, स्थित आम्रपाली टाउनशिप, ग्राम सोनवे, तहसील महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, 282007, क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल: 625 वर्ग फुट	रुपये 1592914/- (रु. पन्द्रह लाख बानवे हजार नौ सौ चौदह मात्र) आईएल10020899 के लिए और रुपये 482613/- (रु. चार लाख बयासी हजार छह सौ तेरह मात्र) आईएल10141165 के लिए	05-12-2025	19-05-2026
श्री नितिन चौरसिया श्रीमती श्यामा बाई चौरसिया चौरसिया धोती लॉट्स और पुष्प भंडार (प्रॉस्पेक्ट नं. संख्या आईएल10227367)	तिरुपति प्लैटिनम ब्लॉक में स्थित प्लॉट संख्या 24 का पूरा हिस्सा तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी के पास स्थित कॉलोनी, सर्वे संख्या 60/5, 60/4, 60/3, ग्राम दाउदखेड़ी, पटवारी हल्का संख्या 37, तहसील और जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत, 456001 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि_क्षेत्र, विक्रय योग्य_क्षेत्र, सुपर_निर्मित_क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल: 720.00, 720.00, 720.00	रुपये 1674736/- (रु. सोलह लाख चौहत्तर हजार सात सौ छत्तीस मात्र)	13-10-2025	20-05-2026
श्रीमती रचना बाई, श्री सुनील चौहान रचना आजीविका चूड़ी और बैंगल्स (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10665941)	प्लॉट संख्या 137, कावेरी पार्क, पोस्ट आलरी, तहसील - टोंखुर्द, जिला - देवास, पिन संख्या 455116, का पूरा हिस्सा. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, विक्रय योग्य क्षेत्र, अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र. संपत्ति का क्षेत्रफल: 500.00, 500.00, 500.00	रुपये 1454246/- (रु. चौदह लाख चौवन्न हजार दो सौ छियालीस मात्र)	14-10 2025	18-05-2026
श्री आनंद बरोद, श्री हेमंत बरोद श्री मांगीलाल बरोद, श्रीमती किरण बाई बरोद (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10672729)	गंगा पार्क कॉलोनी, तहसील और जिला- देवास, मध्य प्रदेश, पिन संख्या 455001 स्थित प्लॉट संख्या 160 का पूरा टुकड़ा. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि_क्षेत्रफल, कालीन_क्षेत्रफल निर्मित_क्षेत्रफल: संपत्ति का क्षेत्रफल: 756.00, 604.00, 756.00	रुपये 1669148/- (रु. सोलह लाख उनहत्तर हजार एक सौ अड़तालीस मात्र)	13-10-2025	19-05-2026
श्री सूरज बंशकर, श्रीमती संगीता बाई, सूरज कंस्ट्रक्शन (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10677606)	सर्वेक्षण संख्या 163/3 और 167/201/1/2, मक्सी रोड, तहसील और जिला-उज्जैन, मध्य प्रदेश, पिन नं. 456001 में स्थित भूमि के पश्चिमी भाग का वह पूरा टुकड़ा. वर्ग फुट में: संपत्ति का प्रकार: भूमि_क्षेत्रफल, कालीन_क्षेत्रफल, निर्मित_क्षेत्रफल. संपत्ति का क्षेत्रफल: 400.00, 500.00, 500.00	रुपये 1149985/- (रु. ग्यारह लाख उन्नचास हजार नौ सौ पिच्यासी मात्र)	13-10-2025	19-05-2026
श्री प्रहलाद, श्रीमती शीला कुणाल कंस्ट्रक्शन साजन किराना स्टोर्स (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10892676)	मकान संख्या 40, अमर पैलेस कॉलोनी, वार्ड नं. 78, तेजपुर, जिला-इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत, पिन नं. 452001, क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्रफल, निर्मित_क्षेत्रफल, संपत्ति का क्षेत्रफल- 450.00,940.00	रु. 1943328.28/- (रु. उन्नीस लाख तिरतालीस हजार तीन सौ अट्ठाइस और पैसा अट्ठाइस मात्र)	13-10-2025	19-05-2026

ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि फीनिक्स उपर्युक्त अचल संपत्ति पर वैध कब्जे में है और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार या कोई भी व्यक्ति, इस सूचना की प्राप्ति के बाद फीनिक्स की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित/हस्तांतरित नहीं करेगा और अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन फीनिक्स द्वारा उपर्युक्त राशि के साथ-साथ संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के प्रभार के अधीन होगा. ऋणकर्ताओं/गारंटरों/गिरवीदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो उपर्युक्त अचल संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं संपत्ति.

स्थान: इन्दौर, दिनांक 21-5-2026 हस्ता. अधिकृत अधिकारी, फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)

फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (पूर्व में 'फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड' के नाम से जाना जाता था)

सीआईएन क्रमांक-U67190MH2007PLC168303 वेबसाइट: www.phoenixarc.co.in पंजीकृत कार्यालय: तीसरी मंजिल, वॉलेस टावर्स, 139/140/B/1, सहार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे का चौराहा, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र, 400057. दूरभाष: +91 02268492450.

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइल हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया.... रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री प्रवीण व्यास कम्प्यूटर श्रीमती पूजा व्यास श्रीमती शांता बाई व्यास (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10339941)	पटवारी हल्का संख्या 10, खसरा संख्या 812/1, क्षेत्रफल 2411 वर्ग फुट, वरल, बड़वानी, मध्य प्रदेश-451666 में स्थित संपति का पूरा टुकड़ा (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि_क्षेत्रफल, निर्मित_क्षेत्रफल, कालीन_क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल: 2411.00, 1687.00, 1350.00	रुपये 502968/- (रु. पांच लाख दो हजार नौ सौ अड़सठ मात्र)	18-10-2025	19-05-2026
श्री गिरीश भालेराव श्रीमती रश्मि भालेराव ((प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10241422	फ्लैट संख्या 209, दूसरी मंजिल, ईडब्ल्यूएस अनमोल, ब्लॉक ए, ओमेक्स हैप्पी होम फेज-2 और शुभांगन विला, बलक्याखेड़ी, इंदौर, मध्य प्रदेश, 452001 का पूरा भूखंड. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल: 340	रुपये 501353/- (रु. पांच लाख एक हजार तीन सौ तिरेपन मात्र)	09-03-2026	19-05-2026
श्री जयंत बरोडे श्रीमती विद्या बरोडे राज सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज (प्रॉस्पेक्ट नंबर 971973 और आईएल10368893)	रूप नगर, वार्ड संख्या 16, जोन संख्या 1, ग्राम छोटा बंगार्दा, इंदौर, मध्य प्रदेश, 452001 स्थित मकान संख्या 397 का पूरा भूखंड. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल: 600	रुपये 1130144.98 /- (रु. ग्यारह लाख तीन हजार एक सौ चवालीस और पैसा अन्ठानवे मात्र) 971973 के लिए और रुपये 587729.68 /- (रु. पांच लाख सतासी हजार सात सौ उन्तीस और पैसा अड़सठ मात्र) आईएल10368893 के लिए	10-03-2026	19-05-2026
श्री विशाल, श्री निर्भय सिंह, श्रीमती निर्मला बाई (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10278197)	प्लॉट संख्या 183, श्री कृष्णा एनक्लेव, ग्राम पंचदेरिया, तहसील सांवेर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश 453551 के पश्चिमी भाग में स्थित मकान का वह पूरा टुकड़ा. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल: 400	रुपये 1353047/- (रु. तेरह लाख तिरेपन हजार सैंतालीस मात्र)	09-03-2026	19-05-2026
श्री सिद्धार्थ सरदार श्री सोनू सरदार श्रीमती कोमल सरदार श्रीमती सुमन सरदार, सिद्धार्थ टेलर्स (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10299789)	मकान संख्या 1763, कुंदन नगर, ग्राम अहीरखेड़ी, तहसील एवं जिला, इंदौर, मध्य प्रदेश, 453115 का पूरा भूखंड. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल: 400	रुपये 621133/- (रु. छह लाख इक्कीस हजार एक सौ तैंतीस मात्र)	09-03-2026	19-05-2026
श्री राहुल ब्राह्मणे, श्रीमती बस्ती बाई ब्राह्मणे, श्रीमती सरला बाई ब्राह्मणे राहुल कलेक्शन (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10389405)	पटवारी हल्का संख्या 03, वार्ड संख्या 12, वारला, बड़वानी, मध्य प्रदेश, 451666 - भारत में स्थित वह संपूर्ण भूखंड. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, कालीन क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र: 550.00, 325.00, 260.00	रुपये 352970/- (रु. तीन लाख बावन हजार नौ सौ सत्तर मात्र)	18-07-2025	19-05-2026
श्री शिवम शर्मा श्रीमान अनंत राम शर्मा श्रीमती प्रभा शर्मा त्रिशा फार्म्स और एवरफ्रेश (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10488773)	मकान संख्या 1004, गौरी नगर, जाम का बगीचा, बिरला अस्पताल के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 452001 का पूरा भूखंड. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, कालीन क्षेत्र. संपत्ति का क्षेत्रफल: 500,1365 वर्ग फुट.	रुपये 1017663/- (रु. दस लाख सत्रह हजार छह सौ तिरेसठ मात्र)	03-03-2026	19-05-2026
श्री धर्मेंद्र चौहान श्रीमती पिंकी चौहान मारुति इलेक्ट्रॉनिक (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10520445 और आईएल10880262)	प्लॉट नं. 842 पाकी (भाग नं. 04) का पूरा टुकड़ा और पार्सल, गोमतेश सिटी, अरिहंत नगर एक्सटेंशन, ग्राम जंबुरदी हप्सी, तहसील-हातोद, इंदौर, मध्य प्रदेश, 452001 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल: 600 वर्ग फुट.	रुपये 2849359/- (रु. अट्ठाइस लाख उन्चास हजार तीन सौ उनसठ मात्र) आईएल10520445 के लिए और रुपये 595144/- (रु. पांच लाख पिंच्यानवे हजार एक सौ चवालीस मात्र) आईएल10880262 के लिए	10-03-2026	19-05-2026
श्रीमती सपना सोलंकी श्री सचिन सोलंकी सोलंकी बुटीक (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10634015)	यूनिट नं. XHS 01, ईडब्ल्यूएस मांडकी, चाणक्यपुरी, आर्ड्या टाउनशिप के पास, देवास, मध्य प्रदेश, 455001 का पूरा भूखंड. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र. संपत्ति का क्षेत्रफल: 1500.00, 394.00	रुपये 191227/- (रु. एक लाख इंक्यानवे हजार दो सौ सत्ताइस मात्र)	09-03-2026	19-05-2026
श्री शांतिलाल चौहान श्रीमती रंजना ड्राइवर (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10806977)	78, मकान संख्या 78, वार्ड संख्या 04, सोलवान, स्कूल के पास, बरवानी, मध्य प्रदेश, भारत, 451666 का पूरा भूखंड. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि_क्षेत्रफल, कालीन_क्षेत्रफल. संपत्ति का क्षेत्रफल- 880.00, 440.00	रुपये 364696 /- (रु. तीन लाख चौंसठ हजार छह सौ छियानवे मात्र)	09-01-2026	19-05-2026
श्री प्रवीण बागुल श्रीमती शीतल ड्राइवर (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10813546)	123, मकान संख्या 123, वार्ड संख्या 04, सोलवान, धनोरा, मुख्य सड़क के पास, बरवानी, मध्य प्रदेश, भारत, 451666 का पूरा भूखंड. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र. संपत्ति का क्षेत्रफल: 1725.00, 1150.00	रुपये 382118.45 /- (रु. तीन लाख बयासी हजार एक सौ अट्ठारह और पैसा पैंतालीस मात्र)	09-01-2026	19-05-2026
श्री मनीष बेने, श्रीमती प्रीति श्री बापू दरबार बैंड (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10946540)	मकान संख्या 10/2, फ्लैट संख्या 202, दूसरी मंजिल, चक्रदेव अपार्टमेंट, इंदौर, मध्य प्रदेश, 452001 का पूरा भूखंड. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल: 887 वर्ग फुट	रुपये 1335552/- (रु. तेरह लाख पैंतीस हजार पांच सौ बावन मात्र)	09-03-2026	19-05-2026

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी **ब्रांच आफिस:** 102/103, दर्शन मॉल, 15/2, रेस कोर्स रोड, इन्दौर-452001 मध्यप्रदेश/या **कार्पोरेट ऑफिस-** प्लॉट नं. 98, फेस-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- इन्दौर, दिनांक- 22-5-2026 प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड